निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 13 / 2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) जीसीएमएस नं0 2025 / 42

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा सिटी सवाई माधोपुर। ....प्रार्थी

1. श्री मुरारी लाल मीना पुत्र श्री मथुरा लाल मीना नि0 ग्राम खेरली कला जिला सवाई माधोपुर 303001
2. श्री गणेश प्रजापत पुत्र श्री कैलाश प्रजापत नि0 ग्राम बाडोलास जिला सवाई माधोपुर 322034

.........अप्रार्थी / ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.06.2023 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री मुरारी लाल मीना पुत्र श्री मथुरा लाल मीना नि0 ग्राम खेरली कला जिला सवाई माधोपुर के स्वामित्व की चल सम्पत्ति चार पहिया वाहन VENUE 1.5 CRDI MT SX वाहन संख्या RJ45 CX0596 चेचिस नम्बर MALFD81DLPM434339 इंजन नम्बर D4FAPM789244 निर्माता HYUNDAI MOTOR INDIA LTD. को हाईपोथिकेट कर कुल राशि 13,60,000 (तेरह लाख साठ हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 18.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में हाईपोथिकेट चल सम्पत्ति चार पहिया वाहन VENUE 1.5 CRDI MT SX वाहन संख्या RJ45 CX0596 चेचिस नम्बर MALFD81DLPM434339 इंजन नम्बर D4FAPM789244 निर्माता HYUNDAI MOTOR INDIA LTD. का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक 28/2/2025 को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 19:07:46 IST
Reason: SelfAttested